निश्चित तिथिः 17–9–2020

नियम–130 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री राम लाल ठाकुर एवं श्री राजेन्द्र राणा द्वारा उठाया गया मामला :–

"बिज़ली की दरों में हुई बढ़ौतरी पर यह सदन विचार करे"।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः–

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाली बिजली दरों के निर्धारण के लिए वैधानिक निकाय है। प्रतिवर्ष हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की जाती है जिसमें राजस्व प्राप्ति और व्यय का पूरा विवरण शामिल रहता है। इस याचिका के आधार पर HPERC द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर लगाए जाने वाले टैरिफ का निर्धारण किया जाता है। विद्युत आपूर्ति की औसत लागत (Average Cost of Supply ACoS) के आधार पर HPERC द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ तय किए जाते हैं ताकि HPSEBL की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement) की पूरी वसूली की जा सके। भारत सरकार की टैरिफ नीति के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं में क्रॉस–सब्सिडी का प्रावधान है और इसके मद्देनजर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के टैरिफ को HPERC द्वारा आपूर्ति लागत ACoS से कम रखा जाता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए ACoS के प्रतिशत के रूप में औसत प्राप्ति निम्नानुसार हैः–

श्रेणी(Category)	**अनुमोदित शुल्क**(Approved Tariff) **(%age of ACoS)**
औद्योगिक	102%
घरेलू	91%
सिंचाई एवं पेय–जल योजना	105%
वाणिज्य	108%
बल्क सप्लाई	108%

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली सब्सिडी की दिशा में वर्ष 2020–21 के बजट में 480 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 6 जून 2020 के टैरिफ ऑर्डर में इन उपभोक्ता श्रेणियों के लिए सब्सिडी वाले टैरिफ को एच.पी. विद्युत नियामक आयोग (HPERC) द्वारा निर्धारित किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले स्लैब (0–125 unit) में ऊर्जा की खपत के लिए अनुमत सब्सिडी 2.40 रू प्रति यूनिट है। दूसरी स्लैब में (126-300 units) 1.90 रू प्रति यूनिट और तीसरी स्लैब में (>300 units) 1.05 रू प्रति यूनिट सब्सिडी दी गयी है। घरेलू उपभोक्ताओं की कुल ऊर्जा खपत लगभग 2100 MU प्रति वर्ष है।

सिंचाई और पेयजल पंप योजना (IDWPS) श्रेणी के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी की दर 3.2 रु0 प्रति यूनिट है। 30.06.2020 तक प्रचलन में टैरिफ और सब्सिडी की दरों का विस्तार निम्नानुसार हैः–

Particulars	Units/month	Approved Tariff for FY20-21 (₹/kWh)	GoHP Subsidy for FY20-21 (₹/kWh)	Weighted Average of Subsidy rate (₹/kWh)	Effective Tariff after subsidy (₹/kWh)
Lifeline consumers	**0-60**	**3.30**	**2.30**	**2.30**	**1.00**
Other Domestic Consumers	**0-125**	**3.95**	**2.40**	**2.40**	**1.55**
	126-300	**4.85**	**1.90**	**2.22**	**2.95**
	Above 300	**5.45**	**1.05**	**1.64**	**4.40**
	Prepaid consumers	**4.85**	**1.90**	**1.90**	**2.95**
Agriculture Consumers (Connected Load < 20 KW)	**No Limit**	**3.70**	**3.20**	**3.20**	**0.50**

हिमाचल प्रदेश सरकार पर इस सब्सिडी का सालाना बोझ 400–450 करोड़ रुपए के बीच होता है जिसका लाभ लगभग 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। पहले स्लैब में दी जाने वाली सब्सिडी की राशि 75–80 करोड़ रुपए (कुल सब्सिडी का 18%) है, जिसका लाभ

लगभग 11 लाख घरेलू उपभोक्ता (कुल घरेलू उपभोक्ता का 55%) उठा रहे हैं। दूसरे स्लैब में दी जाने वाली सब्सिडी की राशि 160–165 करोड़ रुपए (कुल सब्सिडी का 40%) है जिसका लाभ लगभग 6 लाख घरेलू उपभोक्ताओं (कुल घरेलू उपभोक्ता का 30%) द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। तीसरे स्लैब में दी जाने वाली सब्सिडी की राशि 170–175 करोड़ (कुल सब्सिडी का 42%) रुपए है, जिसका लाभ लगभग 3 लाख घरेलू उपभोक्ताओं (कुल घरेलू उपभोक्ता का 15%) द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

सब्सिडी का संक्षेप विस्तार नीचे दी गई तालिका में हैः–

Slabs(Units)	Consumers	Energy Consumption (%)	Tariff (₹/Unit)	Subsidy being given
0-125 (First Slab including lifeline consumers with consumption upto 60 units)	11 Lakh	15%	₹ 1.55	₹ 76 Cr
0-125 126-300 (Second Slab)	6 Lakh	35%	₹ 1.55 ₹ 2.95	₹ 163 Cr
0-125 126-300 >300 (Third Slab)	3 Lakh	50%	₹1.55 ₹ 2.95 ₹ 4.40	₹171 Cr
			TOTAL	₹ 410 Cr

1. सब्सिडी के युक्तिकरण के लिए आवश्यकता

- टैरिफ की वर्तमान संरचना में, उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सब्सिडी प्रतिगामी (regressive) है। कुल घरेलू सब्सिडी की 82% राशि का लाभ दूसरी व तीसरी स्लैब के उपभोक्ताओं को मिल रहा है जोकि बिजली बिलों का भुगतान करने में सक्षम हैं और इनकी प्रतिमाह बिजली की खपत 126 यूनिट या इससे अधिक है, जबकि 125 यूनिट तक की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी की केवल 18% राशि ही मिल रही है। अतः प्रतिगमन (regression) को संभव हद तक सुधार की आवश्यकता थी।

- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्सिडी के कारण उपभोक्ता ऊर्जा के उचित प्रयोग के प्रति सचेत नहीं हो रहे हैं और ऊर्जा संरक्षण (Energy Conservation) के उपायों को नहीं अपना रहे हैं जो आज के समय की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को subsidized tarrif के आधार पर सब्सिडी देने से विकृतियां पैदा होती हैं जोकि अपव्यय को प्रोत्साहित कर सकता है। अतः उपभोक्ताओं को ऊर्जा के संरक्षण के प्रति सचेत करने के लिए सब्सिडी में कटौती करना उचित है।
- उत्तराखंड को छोड़कर हिमाचल प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं का टैरिफ पड़ोसी राज्यों में सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली आपूर्ति की औसत दर 4.94 रुपए प्रतियूनिट है जबकि उत्तराखंड में यह 4.08 रुपए प्रति यूनिट है। पंजाब और दिल्ली के संबंध में घरेलू आपूर्ति की औसत दर क्रमशः 6.81 रुपए प्रति यूनिट और 4. 96 रुपए प्रतियूनिट है। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के बाद हिमाचल प्रदेश का औसत टैरिफ 2.84 रुपए प्रति यूनिट है। इस प्रकार पड़ोसी राज्यों के साथ औसत दर को तुलनीय बनाने के लिए सब्सिडी में कमी की गुंजाइश थी।

- वर्तमान में सरकार की सब्सिडी के अलावा टैरिफ नीति के अनुसार घरेलू उपभोक्ता क्रॉस सब्सिडी का भी लाभ ले रहे हैं। अन्य उपभोक्ता श्रेणियों को विद्युत आपूर्ति की औसत लागत (ACoS) से अधिक टैरिफ लगाकर घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 9% तक का लाभ क्रॉस सब्सिडी के रूप में मिल रहा है। इस 9% लागत की आपूर्ति अन्य उपभोक्ता श्रेणियों से की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बिजली की औसतन आपूर्ति दर (ACoS) 5.54 रुपए प्रति यूनिट है। जबकि घरेलू उपभोक्ताओं से वसूली सिर्फ 5.02 रुपए प्रति यूनिट की दर से की जा रही है और इस प्रकार 0.52 रुपए प्रति यूनिट का अंतर है जोकि अन्य श्रेणी से क्रॉस–सब्सिडी के माध्यम से वसूला जा रहा है, जिसकी प्रतिवर्ष राशि लगभग 120 करोड़ रुपए बनती है। इस प्रकार घरेलू उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर प्रति वर्ष 520 से 570 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी

(सरकारी सब्सिी + क्रॉस सब्सिडी) मिल रही है और इसलिए सब्सिडी युक्तिकरण की आवश्यकता थी।

- राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार टैरिफ की उपभोक्ता श्रेणी का टैरिफ उस श्रेणी की cost of supply के अनुसार वसूलना चाहिए। अगर क्रॉस सब्सिडी को कम किया जाता है तो Domestic consumer को अधिक subsidy देनी होगी जिसका मासिक बोझ 120 करोड़ रू0 प्रतिवर्ष होगा इसलिए subsidy की Rationalization की जरूरत है।

2. सब्सिडी का प्रभावीकरण

- राज्य में लोगों की भुगतान क्षमता का संज्ञान लेते हुए जीवन रेखा उपभोक्ताओं (lifeline consumers) (60 units तक) और प्रथम स्लैब (125 units तक) के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि लगभग 55% घरेलू उपभोक्ता इन स्लैबों के अंतर्गत आते हैं। केवल दूसरी स्लैब (126-300 units) और तीसरी स्लैब (> 300 units) में ऊर्जा की खपत के लिए सब्सिडी में कटौती की गई है जोकि 01-07-2020 से प्रभावी है और इसका विवरण नीचे दी गयी तालिका में है:–

		Old Tariff			**New Tariff**		
Slabs	Units Consumption	Rate	Subsidy	Effective Rate	Proposed Subsidy	Effective Rate	Saving in Subsidy
Lifeline consume	0-60	₹3.30	₹2.30	₹1.00	₹2.30	₹1.00	NIL
First	0-125	₹ 3.95	₹ 2.40	₹ 1.55	₹ 2.40	₹1.55	NIL
Second	0-125	₹ 3.95	₹2.40	₹ 1.55	₹2.10	**₹ 1.85**	**₹41 Cr**
	126-300	₹ 4.85	₹1.90	₹ 2.95	₹0.90	**₹ 3.95**	
Third	0-125	₹ 3.95	₹ 2.40	₹ 1.55	₹ 2.10	**₹ 1.85**	**₹ 69 Cr**
	126-300	₹ 4.85	₹ 1.90	₹ 2.95	₹0.90	**₹ 3.95**	
	>300	₹ 5.45	₹ 1.05	₹ 4.40	₹ 0.45	**₹ 5.00**	

					TOTAL		**₹ 110 Cr**

3. **सब्सिडी के युक्तिकरण का प्रभाव का ब्यौरा**

- जीवन रेखा उपभोक्ताओं (60 units तक) और पहली स्लैब उपभोक्ताओं (0–125 unit) को क्रमशः 2.30 रुपए प्रति यूनिट और 2.40 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है। इन दोनों श्रेणियों में 11 लाख घरेलू उपभोक्ता सम्मिलित हैं। इस प्रकार लगभग 55% घरेलू उपभोक्ता युक्तिकरण से प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
- दूसरे स्लैब में 6 लाख उपभोक्ताओं (30%) में से 4.5 लाख (22.5%) उपभोक्ताओं के प्रतिमाह बिजली बिल में 40 से 113 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी जबकि बाकी 1.5 लाख (7.5%) उपभोक्ताओं के प्रतिमाह बिजली बिल में 113 से 213 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। दूसरी स्लैब में 125 यूनिट तक की खपत के लिए सब्सिडी की दर को 2.40 रुपए प्रति यूनिट से 2.10 रुपए प्रति यूनिट किया गया है और 126 से 300 की खपत के लिए सब्सिडी की दर को 1.90 रुपए प्रति यूनिट से 0.90 रुपए प्रति यूनिट किया गया है। इससे परिकल्पित सब्सिडी में लगभग 41 करोड़ रुपए की कमी होगी।
- तीसरे स्लैब में लगभग 3.0 लाख उपभोक्ता (15%) हैं और इनकी औसतन प्रति माह ऊर्जा खपत 540 units है अतः ऊर्जा बिल में औसतन वृद्धि लगभग 213 रुपए से 357 रुपए तक की होगी। परिकल्पित सब्सिडी में लगभग 69 करोड़ रुपए की कमी की है। तीसरे स्लैब में 125 यूनिट तक की खपत के लिए सब्सिडी की दर को 2.40 रुपए प्रति यूनिट से 2.10 रुपए प्रति यूनिट किया गया है, 126 से 300 units की खपत के लिए सब्सिडी की दर को 1.90 रुपए प्रति यूनिट से 0.90 रुपए प्रति यूनिट किया गया है और 300 units से उपर की खपत के लिए सब्सिडी की दर को 1.05 रुपए प्रति यूनिट से 0.45 रुपए प्रति यूनिट किया गया है।

- सब्सिडी के इस युक्तिकरण के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के औसतन ऊर्जा आपूर्ति दर 2.84 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 3.36 रुपए प्रतियूनिट हो जाएगी जोकि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सबसे कम है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि सब्सिडी के इस युक्तिकरण का 11 लाख (55%) उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं है। 6 लाख (30%) उपभोक्ताओं पर प्रभाव 40 से 213 रुपए है और 3 लाख (15% उपभोक्ताओं) पर 213 से 357 रुपए का प्रभाव है। इस प्रकार राज्य के हित में युक्तिकरण की आवश्यकता थी। इसके अलावा युक्तिकरण को अच्छी तरह से सोच समझ कर ही अनुमोदित किया गया है और इस बात का भी पूरा धयान रखा गया है कि युक्तिकरण से प्रदेश के गरीब लोग प्रभावित ना हो।

****